कार्यालय नगरपालिका मण्डल नीमकाथाना (सीकर)
बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 23.12.2015 को प्रातः 11.00 बजे से नीमकाथाना नगरपालिका मण्डल की साधारण सभा की साधारण सभा की बैठक अध्यक्ष श्री त्रिलोक दीवान की अध्यक्षता में प्रारम्भ की गयी। जिसमें निम्नानुसार सदस्यगण उपस्थित रहे :–

1	माननीय श्रीमान् त्रिलोक दीवान	अध्यक्ष
2	'' '' राजेन्द्र कुमार	उपाध्यक्ष
3	'' श्रीमति विधा	सदस्या
4	'' श्रीमान् महेन्द्र	सदस्य
5	'' श्रीमती कमला	सदस्या
6	'' '' अणची	सदस्या
7	'' श्रीमान् हीमेश कुमार	सदस्य
8	'' '' रतन	''
9	'' श्रीमती सन्तोष	सदस्या
10	'' श्रीमान् जयप्रकाश	सदस्य
11	'' '' रूड़मल	''
12	'' '' लेखराज	''
13	'' श्रीमान् रमेश	सदस्य
14	'' '' जयचन्द	''
15	'' '' छगनलाल	''
16	'' '' बाबूलाल	''
17	'' '' शम्भूदयाल	''
18	'' श्रीमती विद्या	सदस्या
19	'' श्रीमान् शशिकान्त	सदस्य
20	'' '' गिगाराम	''
21	'' श्रीमति तीजा देवी	सदस्या
22	'' श्रीमान् होशियारसिंह	सदस्य
23	'' '' गिरधारी	''
24	'' श्रीमती मोनू	सदस्या

गणपूर्ति पश्चात बैठक आरम्भ की गयी। सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जो निम्नानुसार रही:–

प्र. सं. 1:– वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग के संबंध में विचार।

अध्यक्ष महोदय ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराया कि नगरपालिका क्षेत्र में स्थित जोड़ला जोहड़ा, छावनी स्थित जोहड़ा व रेल्वे बुगदा के पास काफी मात्रा में गंदा पानी एकत्रित होता है। उक्त स्थानों पर लो लैण्ड एरिया होने से गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। जिसकी आये दिन काफी शिकायतें प्राप्त होती हैं। उक्त स्थानों पर वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग प्लांट लगाया जाकर काफी हद तक समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस पर सदन विचार कर निर्णय लेवे।

चर्चा के दौरान श्री जयचन्द डांगी व श्री रमेशकुमार सदस्यगण द्वारा कहा गया कि ऐसी स्थिति नई सब्जी मण्डी के पास भी बनी हुयी है। जहां पर भी पानी निकासी संभव नहीं है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पालिका द्वारा सिवरेज गंदे पानी की निकासी आदि कार्य के लिए डीपीआर तैयार करवाये जाने बाबत टेण्डर किये जाकर कार्य आदेश दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को यह भी बताया कि रेलवे बुगदा के पास बुगदा से दूसरी तरफ गन्दे पानी की निकासी की जाने हेतु नगरपालिका द्वारा रेलवे से स्वीकृति हेतु शुल्क जमा कराया जाना ऑनलाईन आवेदन पत्र भी भरा गया है। उक्त स्थानों पर वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग हेतु प्लांट लगाये जाने व सोलर एनर्जी प्लांट लगाये जाने हेतु प्रत्येक प्लांट के लिये लगभग 1000 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता होगी। इस पर उपाध्यक्ष महोदय व नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र गोयल, श्री जयप्रकाश व अन्य सदस्यगणों द्वारा कहा गया कि उक्त स्थानों पर भूमि की अनुपलब्धता है, इसके लिए जगह का सर्वे किया जाना होगा। अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि फर्म को डीपीआर का कार्यादेश दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इसके लिए जिस फर्म को डीपीआर बनाने के लिए कार्य आदेश दिया हुआ है, उनके द्वारा वेस्ट वाटर डिस्पोजल के लिए सर्वे करवाया गया था। जिसकी विस्तृत कार्ययोजना फर्म द्वारा बनायी जा रही है, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग व डिस्पोजल हेतु फर्म से प्राप्त तकमीना अनुसार उक्त स्थानों पर प्लांट लगाये जाने हेतु लगभग निम्न अनुसार व्यय की जानकारी दी है :—

Ward no 5 waste water pounding near railway line.

- Waste water Treatment plant → 1 MLD Capicity
- Treated water Tank 22 meter Stagging → 100 KlL capacity
- Disposal line in rainy season(140 MM HDPE) → 1250 meter
- Provision of Solar energy generation to Minimize the power consumption on WWTP → InstallingOn available Govt lan /Roof top
- Project Cost → Rs 225 .00Lacs

- **Ward no 15 waste water pounding at Chawani Kabristhan**
  - Waste water Treatment plant → 1 MLD Capicity
  - Treated water Tank 22 meter Stagging → 100 KlL capacity
  - Disposal line in rainy season(140 MM HDPE) → 1000 meter
  - Provision of Solar energy generation to Minimize the power consumption on WWTP → InstallingOn available Govt lan /Roof top
  - Project Cost → Rs 220 .00Lacs
- **Ward no 1 & 25 Jorla Johar Waste water Pounding**
  - Waste water Treatment plant → 1.00 MLD Capicity
  - Treated water Tank 22 meter Stagging → 100 KL capacity
  - Connecting Line from Market pounding to Jorla Johar (300 MM dia NP-3 pipe line → 1250 meter
  - Disposal line in rainy season(140 MM HDPE) → 1000 meter
  - Provision of Solar energy generation to
  - Minimize the power consumption on WWTP → On available Govt land /Roof top
  - Project Cost → Rs 230 .00Lacs
- **Ward no14&15 waste water pounding near New Sabji Mandi.**
  - Waste water Treatment plant → 1 MLD Capicity
  - Treated water Tank 22 meter Stagging → 100 KlL capacity
  - Disposal line in rainy season(140 MM HDPE) → 1250 meter
  - Provision of Solar energy generation to Minimize the power consumption on WWTP → InstallingOn available Govt lan /Roof top

- Project Cost → Rs 225 .00Lacs

बाद विचार विमर्श कर सदन द्वारा सर्वसम्मति से वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग व डिस्पोजल प्लांट के संबंध में निम्न निर्णय लिये गये :–

1. प्लान्ट लगाये जाने हेतु जमीन की उपलब्धता के संबंध में रिर्पोट/प्रपोजल उपलब्ध कराने हेतु श्री महेन्द्र गोयल श्री जयप्रकाश, श्री गिरधारीलाल मीणा की समिति बनाई जाती है। उक्त समिति एक माह में उक्त रिर्पोट उपलब्ध करवायेगी। जिसे मण्डल का निर्णय मानते हुये प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. नगरपालिका क्षेत्र में लो लैण्ड एरिया के लिए कंटूर सर्वे करवाये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त समस्त कार्य यथाः कंटूर सर्वे, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग प्रोजेक्ट हेतु बजट में प्रावधान किया जाकर पुर्ननियोजित बजट स्वीकृत करवाया जावे।
4. जब तक उक्त व्यवस्था नहीं होती है, तब तक के लिये नगरपालिका में वर्तमान में संचालित दौ मैला टैंकर से तीन शिफ्टों में 24 घन्टे पालिका क्षेत्र के लौ लैण्ड एरिया में एकत्रित होने वाले गंदे पानी को उठवाया जावे। इसके लिए ठेके पर कार्मिक व ड्राईवर रखे जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्र0सं0 02 :– श्रीमान् पुलिस अधीक्षक (प्रशासन), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर से प्राप्त पत्र बाबत् अभियोजन स्वीकृति दिये जाने पर विचार।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरण के संबंध में मण्डल को जानकारी दी गयी। मण्डल द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से प्राप्त उक्त पत्र व प्राथमिकी रिर्पोट का गहनता से अध्ययन किया गया। तत्पश्चात् मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रथम सूचना रिर्पोट में उल्लेखित अनुसार श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा परिवादी से किसी प्रकार की रिश्वत के संबंध में बातचीत होना अंकित नहीं है। केवल श्री जितेन्द्र कुमार मीणा, अधिशाषी अधिकारी द्वारा कहा गया है, कि श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा, लिपिक से मिल लेना। इससे स्पष्ट है, कि श्री वर्मा ने कभी कोई रिश्वत की मांग नहीं की गयी। दिनांक 21.05.2015 को श्री मीणा, ईओ को परिवादी से 5000/– रू0 बतौर रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाना वर्णित किया गया है तथा इसमें श्री वर्मा का रिश्वत मांगने व प्राप्त करने के षड्यन्त्र में शामिल होना प्रकट नहीं होता है तथा श्री मीणा, ईओ द्वारा सीधे परिवादी से बात की गयी है ओर श्री वर्मा के माध्यम से रिश्वत लेने के कोई ठोस व विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। प्रथम सूचना रिर्पोट के अनुसार श्री मीणा द्वारा सीधे तौर पर परिवादी से रिश्वत की मांग करना ओर 5000/– रू0 रिश्वत प्राप्त करना प्रकट होता है। ऐसी स्थिती में श्री वर्मा का उपरोक्त अपराध से अथवा उसके षड्यन्त्र से कोई संबंध प्रथम दृष्टया सामने नहीं आता है।

संपूर्ण पत्रावली को ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से यह दृष्टिगत होता है, कि श्री वर्मा का इस प्रकरण के षड्यन्त्र से कोई संबंध नही है। अतः श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चौकीदार) कार्मिक के खिलाफ आधारहीन तथ्यों के आधार पर अभियोजन स्वीकृति दी जाकर ऐसे कर्मचारी को हतोत्साहित किया जाना किसी भी दृष्टि से न्याय एवं विधी सम्मत नहीं है।

अतः उक्त प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति दिया जाना विधि सम्मत नहीं होने के कारण से अभियोजन स्वीकृति नहीं दिये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाकर सूचना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

प्र0सं0 03 :– भूखण्डों/मकानों के विक्रय के संबंध में एनओसी चाहने पर विचार।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में लोगों द्वारा भूखण्डों/मकानों/आदि संपत्ति का बेचान करने पर रजिस्ट्री करवाये जाने के लिए व बैंकों से ऋण प्राप्त करने के संबंध में नगरपालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा जाता है। ऐसे प्रकरण पालिका में लंबित चल रहे हैं। अतः इस संबंध में मण्डल द्वारा निर्णय लिया जाना उचित होगा।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि जिन भूखण्डों/मकानों/दुकानों के पट्टे बने हुये हैं तथा पट्टेधारियों द्वारा बेचान हेतु/ऋण प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा जाता है, तो 101/— रू0 शुल्क जमा लिया जाकर अब बकाया की रिर्पोट ली जाकर अधिशाषी अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है तथा बिना पट्टेशुदा भूखण्डों/मकानों/दुकानों का बेचान हेतु व बैंको से ऋण प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा जाने पर प्रोपर्टी के संबंध में संतुष्टिपूर्वक जांच कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु उपाध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया जाता है।

प्र0सं0 04 :— श्री बनवारीलाल नाटीया, नीमकाथाना को इन्द्रा कॉलोनी में अलॉट प्लाट की पत्रावली के संबंध में विचार।

अधिशाषी अधिकारी ने सदन को बताया कि नगरपालिका नीमकाथाना में इन्द्रा कॉलोनी स्कीम में प्लॉट नं. 27 की दिनांक 24.09.1982 को नीलामी की गयी थी। जिसमें उच्चतम बोली श्री बनवारीलाल नाटिया की रहने पर दिनांक 24.09.1982 को 1/4 राशि र.सं. 19/1 व 19/57 के द्वारा जमा की गयी थी। लेकिन शेष 2/3 राशि जमा करवाने हेतु नोटिस दिये जाने पर श्री नाटिया द्वारा उक्त प्लॉट से विधुत लाईन को पालिका द्वारा हटवाये जाने पर शेष राशि जमा करवाने हेतु निवेदन किया गया। नीलामी की शर्तों के अनुसार बोली नीलामी में तार व खम्बे हटाकर राशि वसूल किये जाने की शर्त थी। इस कारण से नगरपालिका द्वारा आर.एस.ई.बी. को कई मर्तबा तार व पोल हटाये जाने हेतु पत्र लिखे गये, लेकिन विधुत विभाग द्वारा तार व पोल नहीं हटाये गये।

उक्त प्रकरण में दिनांक 05.08.1987 को तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी व प्रशासक महोदय द्वारा आवेदक के प्रार्थना पत्र पर आदेश दिये गये, कि प्लॉट में स्थित तारों के दक्षिणी भाग 120 वर्गगज की शेष राशि 12170/— रू0 जरिये चैक नंबर 358048 दिनांक 05.08.1987 के द्वारा जमा करवाये गये। इस प्रकार आवेदक द्वारा 120 वर्गगज की संपूर्ण नीलामी राशि जमा करवायी जा चुकी है। आवेदक को पालिका द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर 120 वर्गगज की तामीर स्वीकृति भी दी गयी थी।

अब आवेदक बकाया 80 वर्गगज की शेष राशि जमा करवाकर 200 वर्गगज का पट्टा लेना चाहता है। अतः प्रकरण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

मण्डल द्वारा पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया जाकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आवेदक की 120 वर्गगज भूखण्ड की सम्पूर्ण नीलामी राशि जमा है। अतः बकाया 80 वर्गगज की बकाया नीलामी राशि जमा किये जाने व पट्टा जारी किये जाने के संबंध में प्रकरण स्वीकृति हेतु संपूर्ण तथ्यों के साथ निदेशालय को भिजवाया जावे।

प्र0सं0 05 :— श्री मगनलाल सैनी, वार्ड नं. 21, छावनी नीमकाथाना द्वारा श्मशान घाट, छावनी में बड़ा गेट लगाने की स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र पर विचार।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि श्री मगनलाल सैनी, निवासी वार्ड नं. 21, छावनी नीमकाथाना द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है, कि छावनी में स्थित श्मशान भूमि में पेड़—पौधे लगे हुये हैं। लेकिन श्मशान घाट का गेट टूट जाने के कारण से जानवरों द्वारा पेड़ पौधे नष्ट कर दिये जाते हैं। अतः स्वयं के खर्चे से श्मशान घाट के द्वार पर बड़ा व मजबूत गेट लगाने की नगरपालिका नीमकाथाना से स्वीकृति चाही गयी है। अतः प्रकरण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

मण्डल द्वारा बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि श्री मगनलाल सैनी, निवासी वार्ड नं. 21, छावनी नीमकाथाना को स्वयं के खर्चे पर छावनी स्थित श्मशान भूमि के मुख्य द्वार पर गेट लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तत्पश्चात् पार्षदगणों द्वारा कुछ अन्य बिन्दुओं पर बैठक में चर्चा करने हेतु अध्यक्ष महोदय से स्वीकृति दिये जाने हेतु निवेदन किया गया। इस पर पर अध्यक्ष महोदय ने स्वीकृति प्रदान की। इस प्रकार एजेण्डे में शामिल कर विचार किया गया :—

अन्य (अ) श्रीमान् पुलिस उपाधीक्षक, नीमकाथाना द्वारा कार्यालय परिसर का पट्टा दिये जाने हेतु

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार।

उपाध्यक्ष महोदय ने बताया कि श्रीमान् पुलिस उपाधीक्षक, नीमकाथाना द्वारा अपने कार्यालय परिसर व क्वार्टर परिसर क्षेत्र 154540.06 वर्गफीट का पट्टा दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र व नक्शे प्रस्तुत किये गये हैं। अतः प्रकरण निर्णय हेतु मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के नियमानुसार प्रकरण को तैयार कर स्वीकृति हेतु निदेशालय को भिजवाया जावे।

अन्य (ब) वार्ड नं. 07 में कम्यूनिटी टॉयलेट निर्माण के संबंध में विचार।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि वार्ड नं. 07 नीमकाथाना में स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक कम्यूनिटी टॉयलेट निर्माण हेतु पालिका द्वारा टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण की जाकर संबंधित संवेदक को कार्यादेश दिया गया था। उक्त स्थल पर कई मर्तबा टॉयलेट निर्माण करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन कई लोगों द्वारा उक्त स्थल पर टॉयलेट निर्माण का विरोध किये जाने के कारण से निर्माण चालू नहीं हो पाया। अतः इस संबंध में मण्डल द्वारा निर्णय लिया जाना उचित होगा।

इस पर श्री जयचन्द डांगी व श्री लेखराज पार्षद ने बताया कि उक्त कार्य को निरस्त किये जाने की बजाय यदि संभव हो, तो वार्ड नं. 13 में कब्रिस्तान के पास पालिका की जमीन पर उक्त कम्यूनिटी टॉयलेट बना दिया जावे।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यदि उक्त स्वीकृत टेण्डर के अनुसार उक्त कार्य वार्ड नं. 07 के स्थान पर वार्ड नं. 13 में कब्रिस्तान के पास पालिका की जमीन पर करवाया जाना संभव हो, तो इसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा नियमों के अनुसार यह संभव नहीं हो, तो उक्त कार्य को निरस्त किया जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा सधन्यवाद बैठक कार्यवाही समाप्ति की घोषणा की गई।

एस.डी./—
अध्यक्ष
नगरपालिका नीमकाथाना।

एस.डी./—
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका नीमकाथाना

क्रमांकःन0पा0नीम0/2015—16/ दिनांकः

प्रतिलिपिः—

1. श्रीमान् उपशासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, सीकर।
3. श्रीमान् उपनिदेशक(क्षैत्रीय)महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
4. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, नीमकाथाना।
5. माननीय श्री प्रेमसिंह बाजोर, विधायक महोदय, नीमकाथाना।
6. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका नीमकाथाना।
7. श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका नीमकाथाना।
8. श्रीमान् वार्ड पार्षद श्री/श्रीमती.. ।
9. समस्त शाखा प्रभारी को पालनार्थ।
10. गार्ड पत्रावली।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका नीमकाथाना